<u>रिपोर्टेबल</u>

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल याचिका संख्या 8146/2019

(विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 1103/2018)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर और अन्य ...अपीलकर्ता

बनाम

शिकुन राम फिरोदा और अन्य ...प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या 8148-8149/2019

(विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 13624-13625/2018)

सिविल याचिका संख्या 8147/2019

(विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 2453/2018)

और

सिविल याचिका संख्या 8150/2019

(विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 18460/2019)

निर्णय

हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश

1. इन अपीलों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 को पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है, जो सिविल अपील संख्या 8148-8149/2019 और उक्त आदेश के बाद विभिन्न तारीखों पर पारित आदेशों के विषय में है।

2. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक विज्ञापन दिनांक 18 जून, 2013 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999[1]के तहत अधीनस्थ सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। राज्य सेवाओं में विज्ञापित पदों की संख्या 233 और अधीनस्थ सेवाओं में 490 थी। दिनांक 24 जून, 2013 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिससे पदों की संख्या बढ़कर 990 हो गई। दिनांक 10 जुलाई, 2014 को एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें आयोग के संज्ञान में आई कुछ अनियमितताओं के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। दिनांक 12 नवंबर, 2014 को एक और प्रेस नोट जारी किया गया, जिससे अपीलों का वर्तमान सेट सामने आया। प्रेस नोट ने उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों में सुधार करने और 100/- रुपये के भुगतान के बाद श्रेणी में परिवर्तन करने का अवसर दिया। उक्त प्रेस नोट इस प्रकार हैः

प्रेस नोट

राजस्थान अधीनस्थ सेवा 2013 की भर्ती के लिए
ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को एक

अवसर दिया जाता है कि वे गलत श्रेणी परिवर्तन को ठीक करें या अपने आवेदन प्रपत्रों में कोई अन्य संशोधन ऑनलाइन करें। संशोधन ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 100 रुपये का भुगतान करके किया जा सकता है। सुधार/संशोधन आयोग की वेबसाइट rpsconline.rajasthan.gov.in पर दिनांक 13.11.2014 से 28.11.2014 (मध्यरात्रि 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन किया जा सकता है। संशोधन के लिए कोई भी लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियत तिथि के बाद आयोग द्वारा सुधार के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(एन. के. ठकराल) सचिव

3. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2013 थी और प्रारंभिक परीक्षा 26 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई थी। प्रत्यर्थी, जिन्हें इसके बाद रिट याचिकाकर्ता कहा जाएगा, वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर तथा दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को जिस तिथि को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, सेना में सेवारत थे। लक्ष्मण सिंह, एक रिट याचिकाकर्ता, दिनांक 31 जुलाई, 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन 12 नवंबर, 2014 के प्रेस नोट के अनुसरण में सामान्य श्रेणी से पूर्व सैनिक श्रेणी में दर्जा बदलने के लिए आवेदन किया था। चूंकि इस तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए रिट याचिकाएं दायर की गईं। लक्ष्मण सिंह द्वारा दायर रिट

याचिका को विद्वान एकल पीठ द्वारा दिनांक 9 नवंबर, 2016 को निम्नलिखित रूप में खारिज कर दिया गया:-

> "यह स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 31.07.2013 को, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी, याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिक नहीं था और उसे केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में माना जा सकता था। इसलिए, दिनांक 31.07.2013 को, याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक नहीं थे, उन्हें इस रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थी की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को ओबीसी की श्रेणी के तहत मेरिट सूची के अनुसार माना जाएगा।"

4. इस तरह के आदेश को दिनांक 26 मई, 2017 को अपील में अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि प्रेस नोट में पात्रता की तिथि को स्थानांतरित करने का प्रभाव है। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः-

> "आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया यह विचार कि दोनों ने दिनांक 18 जून, 2013 के विज्ञापन के अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक पूर्व सैनिकों का दर्जा हासिल नहीं किया था, ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि दिनांक 12 नवंबर, 2014 को एक अन्य विज्ञापन

जारी किया गया था, जो 28 नवंबर, 2014 को पात्रता मानदंड प्राप्त करने की तिथि को स्थानांतरित करने का प्रभाव होगा।"

5. उक्त आदेश या उक्त आदेश का अनुसरण करने वाले आदेश अपीलों के वर्तमान सेट में चुनौती की विषय वस्तु हैं।

6. आयोग की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को गलतियों को सुधारने के लिए प्रेस नोट जारी किया गया था। अनुज्ञेय सुधार जो किए जा सकते थे, वो श्रेणी परिवर्तन के थे अर्थात सामान्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक या इसके विपरीत, लेकिन एक उम्मीदवार जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर पात्र नहीं था, उसे योग्य नहीं माना जा सकता है। पात्र होने के लिए केवल इसलिए कि उम्मीदवारों को गलतियों को सुधारने और उनकी श्रेणियों को अपडेट करने की अनुमति दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि प्रेस नोट के संदर्भ में पात्रता की तारीख को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ न्यायोचित नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रेस नोट नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नहीं था, बल्कि पहले से जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों में सुधार करने के लिए था। इसलिए, जो उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पात्र नहीं है, उसे पूर्व सैनिकों की श्रेणी में पात्र नहीं माना जा सकता है, जबकि रिट याचिकाकर्ता आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को सक्रिय सेवा में थे।

7. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का समावेश) नियम, 1988 में संशोधन का उल्लेख

किया है, जिसमें नियम 6बी को 21 मई, 2019 को जोड़ा गया है। यह संशोधन ऐसे उम्मीदवार को पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आवेदन करने का पात्र बनाता है जो आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार, यह प्रतिवाद किया गया है कि जब प्रेस नोट जारी किया गया था तो लोक सेवा आयोग और राज्य का इरादा सेना के उन सदस्यों को राज्य सिविल सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना था जो निकट भविष्य में सेवानिवृत्त हो रहे थे।

8. हम अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में मेरिट पाते हैं। प्रेस नोट केवल सुधार की अनुमति देने या पहले से ही ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों में श्रेणी बदलने के लिए जारी किया गया था। उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने का अवसर देने के लिए प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था। इसलिए, गलती या श्रेणी अर्थात सामान्य से किसी भी आरक्षित श्रेणी या इसके विपरीत को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिनांक 18 जून, 2013 को जारी किए गए विज्ञापन के संदर्भ में पात्र नहीं होने वाला कोई उम्मीदवार गलती के सुधार की आड़ में पात्र हो सकता है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रेस नोट के आधार पर पात्र तिथि को स्थानांतरित करने में कानून की गलती की है जो केवल गलतियों के सुधार या श्रेणी में परिवर्तन के लिए प्रतिबंधित था।

9. हमें प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में कोई औचित्य नहीं लगता है। वास्तव में, इस तरह का तर्क अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए इस तर्क का समर्थन करता है कि आने वाले एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला एक सैन्य कर्मी 21 मई, 2019 को संशोधन से पहले पात्र नहीं था। 21 मई, 2019 को सेना का कोई जवान जो आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, वह राज्य सेवाओं

के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। इस तरह के संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है और न ही ऐसा संशोधन स्पष्टीकरण देने वाला संशोधन है क्योंकि यह पहली बार अगले एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नया अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार, खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार इसे रद्द कर दिया जाता है।

10. हमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है और वे राज्य सेवाओं में शामिल हो गए हैं, हालांकि यह वर्तमान कार्यवाही के निर्णय के अधीन है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम आदेश देते हैं कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में पूर्व सैनिकों की श्रेणी में नियुक्त और शामिल किए गए सभी सैन्य कर्मी ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में किसी अन्य उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

11. इस प्रकार अपीलों को अनुज्ञात किया जाता है।

न्यायाधीश (एल नागेश्वर राव)

न्यायाधीश (हेमंत गुप्ता)

नई दिल्ली,

25 अक्टूबर, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।